उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 12 | 16-30 जून 2021 | ₹ 20/-

देश में फैला धर्मांतरण का मकड़जाल

- दरभंगा धमाके के पीछे किसका हाथ?
- इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति
- तालिबान द्वारा इस्लामिक हुकूमत की घोषणा
- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का मनोनयन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

देश में फैला धर्मांतरण का मकड़जाल 04
दरभंगा धमाके के पीछे किसका हाथ? 07
दाढ़ी काटने का विवाद 09
ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनाव लड़ेगी 12
असम में जनसंख्या नियंत्रण की योजना 13
लक्षद्वीप में बीफ और डेयरी पर से पाबंदी हटी 15

विश्व

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा इस्लामिक हुकूमत की घोषणा 16
20 अफगान कमांडो की हत्या 17
म्यांमार में मुसलमानों पर फिर हमला 19
हाफिज सईद के घर के समीप धमाका 19
कोरोना के चलते बांग्लादेश में लॉकडाउन 20

पश्चिम एशिया

इब्राहिम रईसी ईरान के आठवें राष्ट्रपति 21
यरुशलम में इजरायल द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन 23
मिस्र, जॉर्डन और इराक का नया गठजोड़ 24
इख्वानुल मुस्लिमीन के 12 वरिष्ठ नेताओं को फांसी 25
सीरिया और इराक में अमेरिका द्वारा हवाई हमले 26

अन्य

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का मनोनयन 27
दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह की प्रबंध समिति का गठन 27
जलालुद्दीन उमरी को अवार्ड 28
शाही इमाम के परिवार ने लगवाया कोरोना का टीका 29
प्लेटफार्म पर बना मजार बंद 29

सारांश

प्रलोभन और विदेशी धन की सहायता से दिन-प्रतिदिन इस्लामिक धर्मांतरण का अभियान देश में जोर पकड़ता जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा से दो मौलवियों को गिरफ्तार किया है, जिनका दफ्तर दिल्ली के जामिया नगर में स्थित था। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार इन मौलवियों ने एक दिव्यांग हिंदू बच्चे को प्रलोभन देकर इस्लाम में दीक्षित करने के बाद उसे दक्षिण भारत भिजवा दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने गुरुग्राम के मूक-बधिर मनु यादव का धर्मांतरण करने के बाद उसका नया नाम अब्दुल मन्नान रखा था। इसी तरह से कानपुर के रहने वाले आदित्य गुप्ता को भी मुसलमान बनाने के बाद दक्षिण भारत भेज दिया गया था। अजीब बात यह है कि धर्मांतरण कराने वाला एक व्यक्ति मूल रूप से हिंदू राजपूत है और कभी उसका नाम श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था। 1983 में उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसका नया नाम उमर गौतम रखा गया था। इस धर्मांतरण के मकड़जाल को विदेशों से भारो मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। इस मकड़जाल का बारिकी से पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में छापामार अभियान तेज कर दिया है और इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव की धमक शुरू होते ही साम्प्रदायिक तत्वों ने अपनी शरारतपूर्ण हरकतें तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता उम्मेद पहलवान ने अनूपशहर के एक वृद्ध अब्दुल समद सैफी का एक वीडियो वायरल किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस वृद्ध को कुछ हिंदूवादियों ने अपहरण करके उससे जबरन जय श्रीराम और वंदे मातरम् के नारे लगवाए और उससे मारपीट करने के बाद उसकी दाढ़ी काट डाली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश के एक वर्ग में उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सेक्युलर और वामपंथी विचारधारा के समर्थकों ने इसे खूब प्रसारित किया। पुलिस की जांच ने इस झूठे दुष्प्रचार की कलई खोल दी। गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया कि इस घटना को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के एक नेता उम्मेद पहलवान सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पुनः देश में सक्रिय हो गया है। हाल ही में इस खूनी संगठन द्वारा बिहार के दरभंगा नगर में एक विस्फोट किया गया। पुलिस के अनुसार यह जिहादी संगठन एक रेलगाड़ी में धमाका करके लोगों की भारी संख्या में जान लेना चाहता था। पुलिस ने इस संगठन से जुड़े हुए चार लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है जो कि कैराना (उत्तर प्रदेश) और हैदराबाद के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजंसी इस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए तारों को तलाश कर रही है।

इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें अतिवादी मुसलमान समझा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजकर यह आशा व्यक्त की है कि भारत और ईरान के बीच मैत्री के नए युग का प्रारम्भ होगा।

राष्ट्रीय

देश में फैला धर्मांतरण का मकड़जाल

विदेशों से प्राप्त होने वाले फंड से देश भर में धर्मांतरण का जोरदार मकड़जाल फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस संदर्भ में दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। इन पर दो किशोरों को प्रलोभन देकर इस्लाम में दीक्षित करने का आरोप है। एटीएस इस संबंध में बारिकी से जांच कर रहा है। इस मकड़जाल से जुड़े हुए लोगों की देशव्यापी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

दैनिक इंकलाब (22 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र के इस्लामिक दावाह केन्द्र पर छापा मारकर उमर गौतम और उसके सहयोगी मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया है। इन पर दूसरे धर्म के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और विवाह आदि का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। अतिरिक्त महानिदेशक (कानून) प्रशांत कुमार ने लखनऊ में एक पत्रकार सम्मेलन में उक्त जानकारी देते हुए कहा कि इनको न केवल विदेशों से धन मिलता है बल्कि इनके तार आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार इन्होंने एक हजार से अधिक लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया है। प्रशांत कुमार ने दावा किया कि काफी दिनों से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग दिव्यांगों के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब और कमजोर वर्ग के लड़के और लड़कियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस संदर्भ में कानपुर के रहने वाले एक बच्चे के घरवालों ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि उनका बेटा आदित्य गुप्ता नोएडा में रहता था और वहां से वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। बाद में यह पता चला कि वह दक्षिण भारत में है आर उसका इस्लाम में धर्मांतरण हो चुका है। इसी तरह मनु

यादव नामक किशोर का भी धर्मांतरण करवा दिया गया है। जब इस मामले की जांच की गई तो यह पता चला कि यह काम एक गिरोह कर रहा है और इसी गिरोह ने नरसिंहानंद सरस्वती के डासना स्थित मंदिर में दाखिल होने वाले विजयवर्गीय नामक एक व्यक्ति को भी इसी तरह का लालच दिया था। जब विजयवर्गीय से पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि उसको जामियानगर में रहने वाले धनराज सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम ने धर्मांतरण के लिए तैयार किया था।

जब पुलिस ने इस संदर्भ में उमर गौतम से पूछताछ की तो यह पता चला कि जामिया नगर स्थित इस्लामिक दावाह केन्द्र के मुफ्ती जहांगीर आलम के कहने पर धर्मांतरण करवा रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि ये लोग धर्मांतरण करने वाले को धनराशि देते हैं और इन लोगों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, जहां से उन्हें काफी मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है। जो लोग धर्मांतरण कर लेते हैं उनकी मुस्लिम लड़कियों से शादी करवा दी जाती है।

इंकलाब ने यह भी दावा किया है कि उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी के परिवारजनों ने पुलिस के इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि धर्मांतरण करने के लिए वे प्रलोभन नहीं देते हैं। जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण किया है उन्होंने इस संदर्भ में न्यायालय में अपना शपथपत्र दिया था।

उमर गौतम का जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के फतहपुर जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उमर गौतम का दावा है कि जब वह नैनिताल में पढ़ रहा था तब उसने अपना धर्मांतरण किया था।

इंकलाब (23 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि जिन दोनों मौलवियों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों मौलानाओं को सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। पिछले महीने डासना के मंदिर में घुसने का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति कासिफ और उसके जीजा विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया गया था। जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो यह पता चला कि विजयवर्गीय ने उमर गौतम द्वारा प्रेरित किए जाने के कारण धर्मांतरण किया था। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए।

बड़ी अजीब बात है कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने वाले मौलानाओं के समर्थन में सभी मुस्लिम विद्वान खुलकर मैदान में आ गए हैं।

रोजनामा सहारा (23 जून) के अनुसार मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए सरकार ने यह मामला उछाला है। जमात-ए-इस्लामी के महामंत्री सलीम मोहम्मद इंजिनियर ने कहा है कि गौतम और कासमी दोनों ही भारतीय संविधान के अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। देश में भय का वातावरण पैदा करने के लिए पुलिस ने उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष नावेद हामिद ने कहा है कि मैं इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। इन्हें झूठे आरोपों में पुलिस ने फंसाया है। उमर गौतम इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित

होकर मुसलमान बना था और जहां तक विदेशों से धनराशि प्राप्त करने का प्रश्न है यह इल्जाम बेबुनियाद है। एसडीपीआई के नेता डॉ. तसलीम अहमद रहमानी ने कहा है कि यह इल्जाम बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनाया है उसमें किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह गैरकानूनी है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण बनाने के लिए इनको झूठे आरोपों में पकड़ा गया है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलेमा की ओर स इन दोनों मौलवियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और उनके परिवारजनों का भी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी भारतीय संविधान के सरासर खिलाफ है। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ मीडिया ट्रायल का जो अभियान चल रहा है यह उसी का एक हिस्सा है। जमीयत उलेमा ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ भेजा है ताकि इन दोनों पकड़े गए व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्हांने कहा कि जमीयत उलेमा ने इनका मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम बनाई ह। जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग एसआईओ के अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद ने यह आरोप लगाया है कि इन लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।

इंकलाब (24 जून) के अनुसार धर्मांतरण के इस मामले की जांच के सिलसिले में अल हसन नामक इंस्टीट्यूट पर उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा छापा मारा गया। उमर गौतम का संबंध इसो संस्था से है। इस शिक्षा संस्थान के सचिव मौलाना नजीबुल हसन ने यह स्वीकार किया है कि उमर गौतम इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने दावा किया है कि इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी देकर मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकतीं। लोगों को वह झूठे आरोपों में फंसाती हैं।

इंकलाब (25 जून) ने यह दावा किया है कि पुलिस ने इन दोनों मौलवियों को झूठे आरोप में फंसाया है। जबरन धर्मांतरण के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब इस देश में 1000 वर्ष तक मुसलमानों का शासन रहा तो हिंदुओं को कहीं कोई खतरा नहीं था। अब सारा खतरा नजर आ रहा है।

इंकलाब (26 जून) के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए विदशों से आने वाले धन के बारे में जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 जून) ने अपने संपादकीय में उमर गौतम और कासमी की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि सबसे अजीब बात यह है कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ देश के मुसलमानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। जो लोग मिल्लत के चौधरी बने हुए हैं, बड़े-बड़े संगठन चलात हैं और बड़े-बड़े चंदे इक्ठ्ठा करत हैं वे सब चुप हैं। जैसे इस समस्या से उनका कोई संबंध नहीं है। शायद वे यह समझते हैं कि यह आग उन तक नहीं पहुंचेगी। उमर गौतम का मामला उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। वह तो संविधान की

धारा 25 के तहत अपना काम कर रहा था। अगर उसने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ खुले तौर पर जांच होनी चाहिए। मगर जिस तरह से मीडिया में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है उससे यह लगता है कि मामला कुछ और है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व वे वहां के वातावरण को खूब गरम करना चाहते हैं। हिंदू-मुस्लिम के सवाल पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और वे दंगे करना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए हमें एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। एकजुट होकर राजनीतिक और अदालती कार्रवाई करनी होगी। वरना एक एक करके सारे लोग फंसाए जाएंगे। उस समय कोई बोलने वाला नहीं होगा। अब भी मौका है कि मिल्ली संगठन और उनके नता समस्या को गंभीरता से लें और एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका राजनीतिक और न्यायालय में मुकाबला करें। वरना एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब इसकी इजाजत संघी बादशाहत में नहीं होगी।

24 जून के अपने संपादकीय में इसी समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार क्योंकि कोरोना महामारी का मुकाबला करने में पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए अब एक बार फिर धर्म के खतरे का खटराग शुरू किया जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के आरोप में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसका मकसद भी आने वाले चुनाव में हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का है। इससे पूर्व भी एक प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक को ऐसा घेरा गया था कि उन्हें भागकर विदेश में शरण लेनी पड़ी थी।

दरभंगा धमाके के पीछे किसका हाथ?

दरभंगा जंक्शन पर हुए एक धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अब तक पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनका संबंध पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है। इनमें से तीन व्यक्ति उत्तर प्रदेश के शामली जिले से पकड़े गए हैं। जबकि दो व्यक्ति हैदराबाद से हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां देश भर में फैले हुए इस आतंकी गिरोह के मकड़जाल का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है।

इंकलाब (22 जून) के अनुसार दरभंगा जंक्शन पर हुए बम धमाके के बाद क्योंकि बिहार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई थी, इसलिए इस मामले को राष्टोय जांच

एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। इस धमाके के बाद सारे नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आतंकवाद विरोधी फोर्स नगर में जगह-जगह तैनात कर दी गई हैं। आने वाली रेल गाडियों की जांच की जा रही है और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही उसे रोककर निरीक्षण किया जाता है। लोगों का कहना है कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पहले ही की जाती तो कोई घटना नहीं होती। पुलिस आयुक्त ने अचानक विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पांच पुलिस अधिकारियों को ढिलाई बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दरभंगा जंक्शन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में चार संदिग्ध व्यक्तियों की खोज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में की जा रही है और उनकी तलाश में अनेक स्थानों पर छापे मारे गए हैं। मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर एक टैक्सी से चार संदिग्ध व्यक्ति नीचे उतरे थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के अंदर विस्फोटक पदार्थ रखा था। जानकारी के अनुसार दरभंगा में एक सप्ताह के भीतर चार धमाके हुए थे। इनमें से एक धमाका रेलवे स्टेशन पर हुआ जबकि दूसरा धमाका तेलंगाना (सिंकदराबाद) से भेजे गए एक पार्सल में हुआ। बताया जाता है कि एक तीसरे धमाके के तार उत्तर प्रदेश के शामली से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि ये सभी पार्सल फर्जी नाम पर भेजे गए थे।

इंकलाब (26 जून) के अनुसार दरभंगा में हुए धमाकों के तार शामली जिले के कैराना कस्बे से जुड़े पाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस संदर्भ में चार व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें एक पिता-पुत्र भी शामिल हैं। एटीएस ने कैराना के रहने वाले हाजी सलीम और उसके बेटे शाह परवेज और एक अन्य व्यक्ति कफील को हिरासत में लिया है। पिता-पुत्र को उनके घर पर छापा मारकर पकड़ा गया है। जबकि कफील को एक अन्य माहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दे रही हैं।

जानकार सूत्रों के अनुसार बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को एक पार्सल में बम धमाका हुआ था। बताया जाता है कि यह पार्सल तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से बुक किया गया था जिसको दरभंगा में मोहम्मद सुफियान नामक व्यक्ति ने प्राप्त किया था। बताया जाता है कि इस

धमाके में किसी नए रसायन का इस्तेमाल किया गया है। इससे पूर्व भी 2005 में हाजी सलीम को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे किस सिलसिले में पकड़ा गया था?

दैनिक हिंदुस्तान (3 जुलाई) के अनुसार दरभंगा ब्लास्ट मामले की कमान एनआईए के हाथ में आते ही जांच ने तेजी पकड़ ली है। स्थानीय जिला और सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों हाजी सलीम और कफील को पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया है। बताया जाता है कि इसके अतिरिक्त हैदराबाद से भी दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को उनसे पूछताछ करने के लिए एक सप्ताह का रिमांड मिला है। बताया जाता है कि हैदराबाद से जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम इमरान और नासिर हैं।

दाढ़ी काटने का विवाद

समाचारपत्रों में लोनी के एक वृद्ध व्यक्ति की कुछ युवकों द्वारा दाढ़ी काटने और उनके साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार यह वीडियो समाजवादी पार्टी से संबंधित एक नेता ने जानबूझकर हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए डाला था। गाजियाबाद पुलिस ने इस संदर्भ में इस वीडियो को डालने वाले उम्मेद पहलवान और उनके पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उम्मेद पहलवान के खिलाफ राज्य में साम्प्रदायिक भावना भड़काने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट भी लगाया गया है।

इंकलाब (15 जून) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित एक समाचार में यह दावा किया था कि गाजियाबाद जिला के लोनी क्षेत्र में अब्दुल समद नामक बुजुर्ग की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसकी दाढ़ी भी काट दी गई। दावा यह किया गया कि पिटाई करने वाले लोग उसे जय श्रीराम के नारे लगावाने पर मजबूर कर रहे थे। बुलंदशहर का रहने वाला अब्दुल समद ऑटो से लोनी के एक गांव जा रहा था। आरोप यह है कि ऑटो ड्राइवर के कुछ साथी भी आकर रास्ते में बैठ गए और जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे पीटा और उसकी दाढ़ी भी काट दी। इस घटना के कारण मुसलमानों में काफी रोष है। लोनी के एसएचओ मदनपाल के अनुसार 7 जून को इस व्यक्ति ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने जांच के बाद यह दावा किया कि अब्दुल समद की सारी कहानी ही फर्जी है। पुलिस ने कहा कि यह व्यक्ति लोगों को ताबोज बेचा करता था। जब उसकी ताबीज का असर नहीं हुआ तो उसे कुछ लोगों ने पीटा। पीटने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। उसकी पिटाई को वीडियो को अनेक लोगों ने शेयर किया, जिससे मुस्लिम समाज में काफी तनाव पैदा हो गया।

इंकलाब (19 जून) के अनुसार अनूपशहर में बुजुर्ग अब्दुल समद के निवास स्थान पर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान सहित सौ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है।

प्रेस कांफ्रेंस में यह दावा किया गया था कि पुलिस द्वारा जो बयान दिया गया है वह सरासर झूठा है। उम्मेद पहलवान ने अपने निवास स्थान के बाहर स फेसबुक लाइव भी की थी, जिसमें उसने दाढ़ी काटने के मामले को लेकर पुलिस पर कई प्रश्न उठाए थे। पुलिस का यह दावा है कि इस अवसर पर जो लोग इक्ट्ठे हुए थे उन्होंने न तो मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया था। पुलिस ने अब्दुल समद के निवास स्थान पर पहरा लगा दिया है। पुलिस का दावा है कि अब्दुल समद और उसका बेटा बब्बू दोनों अपने घर से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 जून) के अनुसार अब्दुल समद सैफी के पिटाई के मामले की जांच के बाद पुलिस ने यह साफ शब्दों में कहा है कि इस मारपीट के पीछे कोई धार्मिक और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। बल्कि ताबोज को लेकर मारपीट हुई है और इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। मगर अब्दुल समद के बेटे बब्लू सैफी का एक बयान सामने आया है जिसने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बब्लू का दावा है कि जिन लोगों ने उसके पिता की पिटाई की है वे उन्हें पहले से नहीं जानते थे और सिर्फ मुस्लिम होने के कारण उन पर जुल्म ढाया गया है। उसने कहा कि ताबोज की कहानी बबुनियाद है। मेरे पिता कोई ताबोज नहीं देते। पुलिस ने अपनी मर्जी से जा मन हुआ उसे लिखा और आरोपियों की भी मेरे पिता से पहचान नहीं करवाई। उसने कहा कि वीडियो में जो लड़के नजर आ रहे हैं उनको क्या गिरफ्तार किया गया है?

कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बुजुर्ग अब्दुल समद को कुछ लड़के बुरी तरह से पीट रहे थे और उसकी दाढ़ी को भी कैंची से काट रहे थे। अब्दुल समद ने यह दावा किया था कि कुछ लोगों ने उसका जबरन अपहरण कर लिया था और जबरन जय श्रीराम

और वंदे मातरम् के नारे भी लगवाए और उसकी दाढ़ी भी काट दी। पुलिस ने कहा है कि इस बुजुर्ग ने कुछ लोगों का ताबोज दिया था जो कारगर नहीं हुआ। इससे चिढ़कर लोगों ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस वीडियो को जानबूझकर एक सामजवादी नेता उम्मेद पहलवान ने वायरल किया था और वह इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में भुनाना चाहता था।

हमारा समाज (20 जून) के अनुसार इस मामले में पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले को फेसबुक लाइव करके सुर्खियों में लाने वाले उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। वहां वह छिपा हुआ था। बताया जाता है कि जब पुलिस ने इस मामले को उजागर किया तो अब्दुल समद और इसके दोनों बेटे तथा उम्मेद पहलवान अपने घरों से गायब हो गए, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। हालांकि पुलिस पहले दिन से ही यह दावा कर रही थी कि इस मामले में किसी तरह की साम्प्रदायिकता नहीं है। मगर अब्दुल समद और उसके परिवारजन पुलिस को निरंतर गुमराह कर रहे थे। लोनी पुलिस ने उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी थी। मगर वह फरार हो गया था। बाद में उसके मोबाइल से मिली लोकेशन के आधार पर उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद के पुलिस एसएसपो अमित पाठक ने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उम्मेद पहलवान, ताजुद्दीन, फिरोज मेवाती, आलम और जावेद सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया है।

इंकलाब (16 जून) ने यह दावा किया है कि इस घटना के बारे में दो भिन्न-भिन्न दावे किए गए थे। लोनी के सीओ ने कहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें दोनों सम्प्रदाय के लोग शामिल हैं। पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली ने कहा कि जय श्रीराम के नारे लगाने के लिए मजबूर करने की बात सरासर गलत है। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का दावा है कि इस मामले की आड़ लकर कुछ शरारती तत्वों ने हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सच्चाई का पता लगाकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया है।

इंकलाब (17 जून) के अनसार इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीटर सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पत्रकार राणा अय्यूब ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस घटना की जांच किए बिना इस ट्वीट को रिट्वीट किया है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें कई बड़े पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

इंकलाब (17 जून) ने अपने संपादकीय में इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए हैं वह सरासर गलत है। समाचारपत्र ने कहा है कि हमार समझ में नहीं आता कि जिन पत्रकारों और आम लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट या रिट्वीट किया उनके खिलाफ मुकदमें क्यों दर्ज किए हैं? समाचारपत्र का आरोप है कि पुलिस वाले जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती हो तो वह डरकर उसे उजागर न करे।

इंकलाब (18 जून) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे की घोर निंदा की है

और इस केस को वापस लेने की मांग की है। गिल्ड ने कहा है कि पुलिस जानबूझकर देश में भय का वातावरण बनाना चाहती है ताकि लोग भविष्य में कोई ऐसी घटना होने पर पत्रकार इसे उजागर करने की हिम्मत न करें।

सियासत (16 जून) के संपादकीय में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार भाजपा के लिए सत्ता में पुन: आना असंभव है। इसलिए 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार को बचाने के लिए यह जरूरी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बचाया जाए। भाजपा हाईकमान ने विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही राज्य में साम्प्रदायिकता को हवा देने का खेल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया हो या गोदी मीडिया दोनों जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि नफरत की लहर पैदा करके भाजपा पुन: सत्ता में आ सके। पिछले दिनों गाजियाबाद में एक वृद्ध मुसलमान को निशाना बनया गया और उसके साथ मारपीट की गई। उसे जय श्रीराम के नारे लगाने पर मजबूर भी किया गया। यह घटना मामूली नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। बल्कि यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में मुंह की खाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। इसलिए भविष्य में गाजियाबाद जैसी घटनाओं का सहारा लिया जाएगा।

ओवैसी की पार्टी लड़ेगी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनाव

इंकलाब (28 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली और उत्तर पदेश विधान सभा के चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य छोटे दलों के गठबंधन संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। पहली बार हिंदी में ट्वीट करते हुए ओवैसी ने यह घोषणा की है कि हमने आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 सीटों पर अपने

उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस संबंध में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं।

दैनिक सियासत (28 जून) के अनुसार इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील को मजलिस का दिल्ली प्रभारी नियुक्त किया गया है। जलील ने दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और भाजपा की तीव्र आलोचना की है और कहा है कि देश की राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। इसके कारण दिल्ली की

मुस्लिम जनता के अनुरोध पर मजलिस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत नगर निगम के चुनाव से होगी, जिसे मजलिस के दिल्ली अध्यक्ष कलीम उल हफीज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मजलिस दिल्ली की हताश जनता के लिए आशा की नई किरण बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पूर्व दिल्लीवासियों से जो वायदे किए थे वह पूरे नहीं किए। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के परिवारवाद और भाजपा की साम्प्रदायिक नीति से तंग आकर आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था। मगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने यह वायदा किया था कि वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। मगर उन्होंने दिल्ली की जनता को जो अधिकार प्राप्त थे वह भी खो दिया और उसके खिलाफ विरोध तक नहीं किया। बेरोजगारी को दूर करने और जनता को संरक्षण प्रदान करने में भी केजरीवाल सरकार विफल रही है। अल्पसंख्यकों का खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है जिसे रोकने में आम आदमी पार्टी को कोई रुचि नहीं है।

मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देश के जिन राज्यों में अपना भाग्य अजमाया है उनमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हालांकि बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 5 जीतने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल में उनका खाता तक नहीं खुला। गुजरात में केवल एक नगरपालिका में उन्हें सात सीटें प्राप्त हुई थीं। जबकि कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

असम में जनसंख्या नियंत्रण की योजना

इंकलाब (20 जून) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि उनकी सरकार धीरे-धीरे जनसंख्या नियंत्रण की नीति लागू करेगी और दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने का फैसला किया है। हालांकि ये सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। हम स्कूलों या प्रधानमंत्री आवास योजना में दो बच्चे वाली नीति को लागू नहीं कर सकते।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 जून) ने इस संबंध में कहा है कि जब से भाजपा के नए मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला है व मुसलमानों की जनसंख्या को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अल्पसंख्यकों में गरीबी को कम करने के लिए जरूरी है कि व परिवार नियोजन की एक नीति अपनाएं। जनसंख्या अधिक हाने के कारण रहने की जगह कम हो जाती है और भूमि पर अवैध

कब्जे का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके इस बयान की असम के मुस्लिम संगठनों और बदरूद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मुख्यमंत्री मुसलमानों की समस्याओं का समाधान करन की बजाय उनके खिलाफ जानबूझकर नफरत का वातावरण बना रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि का मूल कारण गरीबी है और अगर विधान सभा में इस संदर्भ में कोई नीति लाई जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

इत्तेमाद (30 जून) ने अपने संपादकीय में असम के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की है और कहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या को समय-समय पर जनता को भयभीत करने के लिए पेश किया जा रहा है और यह सिलसिला अब भी जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक बार फिर राज्य में मुसलमानों की आबादी के बारे में विवादित बयान दिया है। एक सप्ताह के भीतर यह उनका दूसरा बयान है। उनका कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या में गत दशक में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि को रोकने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिलसिले में मुसलमानों को लक्ष्य करके जो बयान दिया है उससे उनकी मानसिकता उजागर होती है और यह पता चलता है कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि का यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर पर भी कब्जा हो जाएगा। इसलिए व दो बच्चों के लक्ष्य से आबादी पर नियंत्रण के लिए एक योजना बना रहे हैं। इस तरह का एक कानून पंचायत चुनाव में भाग लेने और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पहले से ही मौजूद है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वे इस तरह का बयान दे चुके हैं। उनका यह बयान एक तरह से मुसलमानों के लिए चुनौती है। दरअसल भाजपा असम में जब एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने में विफल रही है तो अब उन्होंने जनसंख्या को आधार बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाने का नया अभियान शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या असम में मुसलमानों की आबादी में वास्तव में वृद्धि हो रही है? इस संदर्भ में जनसंख्या पर एनएफएचएस की पांच रिपोर्टें हैं, जिनके अनुसार असम में बच्चों की पैदाइश की दर देश की आम पैदाइश की दर के बराबर है। 2005-06 में जब राष्ट्रीय स्तर पर पैदाइश की दर 2.7 थी तो उस समय असम में यह 2.4 थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह घटकर 1.87 हो चुकी है। साफ है कि असम में पैदाइश की दर देश की दर से काफी कम है। मुसलमानों में पैदाइश की दर में तो और भी गिरावट आई है। मगर न जाने क्यों भाजपा और आरएसएस के नेताओं की ओर से मुसलमानों की बढ़ती आबादी के बारे में बयान आते रहते हैं। संघ परिवार के नेता मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। संघ के कुछ नेता इस बात पर जोर देते हैं कि अगर मुसलमानों की बढ़ती आबादी को न रोका गया या बहुसंख्यक लोगों की आबादी की दर में वृद्धि न की गई तो इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। सवाल यह है कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या की सच्चाई क्या है? इस तरह का बयान देकर देश की जनता में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भय का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है? हालांकि अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डाली

जाए तो यह पता चलेगा कि इस देश में आबादी की दर कम हुई है। एक ओर मुसलमानों की आबादी को खतरे के तौर पर पेश किया जाता है। मगर उनकी शिक्षा और अन्य मामलों में उनके साथ किए जा रहे निरंतर अन्याय की कभी चर्चा नहीं की जाती। 2011 की जनगणना के अनुसार बहुसंख्यक जनसंख्या में साक्षरता का अनुपात 77 प्रतिशत था जबकि मुसलमानों में साक्षरता का अनुपात 61 प्रतिशत था। मगर इस पर कभी चर्चा नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आबादी का मामला उठाया जाता है। सेक्युलर दृष्टिकोण वाले लोग इस बात की हकीकत को जानते हैं कि संघ परिवार मुसलमानों को अपना निशाना क्यों बना रहा है? इसका एकमात्र लक्ष्य जनता में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना है ताकि देश में मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बनाया जा सके।

लक्षद्वीप में बीफ और डेयरी पर से पाबंदी हटी

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जून) के अनुसार लक्षद्वीप प्रशासन को उस समय बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय ने उसके दो विवादित फैसलों को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले के तहत प्रशासन ने यह तय किया था कि वह दोपहर के खाने में स्कूली बच्चों को बीफ और चिकन नहीं देगा और सभी डेयरी फार्मों को बंद कर दिया जाएगा। न्यायालय ने जब इस संदर्भ में प्रशासन से कारण पूछा तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनके यहां मांस को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है और डेयरी फार्म लाभदायक नहीं हैं। इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा है कि किसी के खानपान में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है और लोग वर्षों से इसके अभ्यस्त हो गए हैं। न्यायालय ने पूछा कि ऐसे आदेश जारी क्यों किए गए हैं?

दो महीने पूर्व लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल ने द्वीप समूह में पशुओं की नीलामो और गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि बच्चों को दोपहर के भोजन में मांस न दी जाए। इसे वकील अजमल अहमद की ओर से केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि प्रशासक के ये आदेश मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा था।

प्रशासन के कई फैसलों के कारण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायाधीश साजी पी. चैली के डिविजनल बेंच ने प्रशासन द्वारा डेयरी फार्म बंद करने पर रोक लगा दी है। प्रशासन इससे पूर्व भी भूमि अधिग्रहण के फैसले को वापस ले चुका है। मगर उसने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध को अभी तक वापस नहीं लिया है और इसके साथ ही दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है।

इत्तेमाद (30 जून) के अनुसार लक्षद्वीप प्रशासन ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक अध्यादेश जारी करके इस क्षेत्र को केरल की बजाय कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए अध्यादेश जारी करे।

विश्व

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा इस्लामिक हुकूमत की घोषणा

रोजनामा सहारा (21 जून) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत स्थापित करेंगे, जिसमें इस्लामी उसूलों के साथ-साथ महिलाओं को भी कुछ अधिकार देने की व्यवस्था होगी। जानकार सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं के चले जाने के सिलसिले में अमेरिका और तालिबान के बीच जो बातचीत हो रही थी वह विफल हो गई है। अरब न्यूज के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दो बार तालिबान के प्रतिनिधियों स दोहा में गुप्त बैठक की। यह कहना कठिन है कि इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच क्या चर्चा हुई है। मगर आम अनुमान यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित होने के कारण भारत पर होने वाले प्रभाव के संबंध में बातचीत की है।

इत्तेमाद (21 जून) के अनुसार तालिबान के उप प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादार ने यह दावा किया है कि अफगान नागरिकों की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ इस्लामिक शासन व्यवस्था को लागू करने से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम महिलाओं को कुछ अधिकार देने के लिए तैयार हैं जो इस्लामिक शरा के अनुसार होंगे। मगर मुस्लिम विद्वानों का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने शांति वार्ता में इसलिए भाग लेना स्वीकार किया था क्योंकि हम अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और हम सभी अफगान नागरिकों को इस बात की गारंटी देते हैं कि इस्लामिक शरा में उन्हें जो भी अधिकार हासिल है उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाएगा चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं।

अफगानिस्तान के अनेक भागों में सरकारी फौजों और तालिबान के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है। तालिबान ने यह दावा किया है कि उनका अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा है और

इस महीने उन्होंने अब तक एक हजार से अधिक सरकारी सैनिकों की हत्या की है और तालिबान ने अनेक महत्वपूर्ण मार्गों को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान सरकार ने तालिबान द्वारा देश में इस्लामिक शासन व्यवस्था को लागू करने के बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वे अपने पद से त्यागपत्र देने और नए सिरे से राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं।

कौमी तंजीम (20 जून) के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी और विदेशी सैनिकों को बुला लिया जाता है तो आने वाले दो वर्षों में अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से तालिबान का शासन हो जाएगा। या इससे पहले भी हो सकता है। मगर यह बहुत कुछ अफगान सरकार पर निर्भर है कि वह अपना प्रशासन किस तरह से चलाती है? अगर अफगानिस्तान सरकार विफल हो जाती है या अफगान सेना कमजोर हो जाती है तो निश्चित रूप से तालिबान वहां पर अपना कब्जा जमा लेंगे और वहां पर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी गुट पुनः तेजी से उभर सकते हैं और उस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत है कि अमेरिका अलकायदा और इस्लामिक स्टट पर अपना सख्त दबाव बरकरार रखे। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार पहले के अनुमान निराधार सिद्ध हो रहे हैं कि तालिबान और अलकायदा के आपसी संबंध विच्छेद हो चुके हैं। हकीकत यह है कि इन दोनों के बीच दिन-प्रतिदिन सहयोग बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सांसदों को कहा कि अगर अफगानिस्तान में अलकायदा और अन्य इस्लामिक आतंकी संगठन मजबूत होते हैं तो अमेरिका के सामने इस बात के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वह अपने अड्डों से या पश्चिमी एशिया के अड्डों से हवाई हमले तेज करे।

एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक तालिबान के हमलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान की सेना को ताकतवर बनाया जाए ताकि तालिबान कभी यह सोच भी न सकें कि वह अफगानिस्तान में शासन पर कब्जा कर सकते हैं।

20 अफगान कमांडो की हत्या

इत्तेमाद (17 जून) के अनुसार अफगान तालिबान ने फारयाब सूबे में 20 सरकारी कमांडो की हत्या कर दी है। इन कमांडो को इस क्षेत्र को तालिबान के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए भेजा गया था। सरकारी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि सैनिकों ने दौलताबाद नगर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने दो फौजी टैंक भी तबाह कर दिए हैं। जबकि 100 से अधिक तालिबान के मारे जाने की घोषणा सरकारी प्रवक्ता ने की है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के 80 से अधिक जिलों में तालिबान और सरकारी सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है जिनमें अब तक एक सौ से अधिक सरकारी सैनिक और ढ़ाई सौ तालिबान मारे जा चुके हैं। तालिबान ने यह दावा

किया है कि हाल ही में उन्होंने 30 नए जिलों पर कब्जा कर लिया है और सरकारी सेना मैदान छोड़कर भाग गई है। गजनी में तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को यह विश्वास था कि वह अफगानिस्तान से तालिबान का नामोंनिशान मिटा देगा। मगर तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों का सफाया कर दिया है और अब वे अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। अब इस देश में एक इस्लामिक हुकूमत स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद अफगानिस्तान के सरकारी सैनिक एक सप्ताह भी हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे। जब मालिक लोग दुम दबाकर भाग गए हैं तो उनके गुलामों की क्या औकात है कि वे हमारा मुकाबला करें।

रोजनामा सहारा (21 जून) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को उनके पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि तालिबान के साथ युद्ध में तेजी आने के कारण यह परिवर्तन करना जरूरी था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि देश के 34 में से 28 सूबों में तालिबान को युद्ध में बढ़त हासिल हुई है इसलिए अफगानिस्तान की सारी रक्षा व्यवस्था में भारी परिवर्तन किया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री असद्ल्लाह खालिद को हटाकर उनकी जगह बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। जबकि हयातुल्लाह हयात को हटाकर उनकी जगह अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वा को गृह मंत्री बनाया गया है। नए रक्षा मंत्री इससे पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के शासनकाल में सेना प्रमुख भी रह चुके हैं और उन्हें सैनिक अभियानों का लम्बा अनुभव है। राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल यासिन जिया को हटाकर वली मोहम्मद अहमदजई को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है।

म्यांमार में मुसलमानों पर फिर हमला

मुंबई उर्दू न्यूज (29 जून) के अनुसार ब्रिटेन में स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने यह दावा किया है कि म्यांमार में सेना ने अल्पसंख्यक मुसलमानों पर पुनः हमले शुरू कर दिए हैं और कई मस्जिदों को आग लगा दिया है। बर्मा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने यह दावा किया है कि रंगून में सेना ने एक मस्जिद को आग लगा दी है और इसके बाद पूरे म्यांमार में मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं शुरू हो गइ हैं। इस गुट ने यह मांग की है कि म्यांमार के बिगड़ते हालात के बारे में विश्व को जागरूक होना चाहिए और इसको रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। गत चार महीनों में म्यांमार में सेना ने कम-से-कम 1000 लोगों को गोली से उड़ाया है। इसलिए यह जरूरी है कि विश्व भर के देश म्यांमार को सैनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई बंद करें और इसके अतिरिक्त उसकी आर्थिक नाकेबंदी करें। एक कैथोलिक चर्च पर भी हमला किया गया है क्योंकि वहां पर नागरिकों ने शरण ले रखी थी। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई है। 12 अप्रैल को रंगून में एक मस्जिद के इमाम को सैनिकों ने गिरफ्तार करने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया।

हाफिज सईद के घर के समीप धमाका

सियासत (24 जून) के अनुसार लाहौर के जौहर टाउन में हुए एक धमाके में कम-से-कम चार लोग मारे गए। जहां यह धमाका हुआ है उसके समीप ही जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का घर है। लाहौर पुलिस महानिदेशक इनाम गनी ने कहा कि इस धमाके के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ हो सकता है। भारत की नजर मं हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। एक प्रश्न के उत्तर

में उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें ऐसे हमलों के पीछे अपने हाथ होने की बात को कभी स्वीकार नहीं करती हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि असली निशाना हाफिज सईद था मगर क्योंकि उसके घर के चारों तरफ पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी इसलिए आक्रमणकारी सईद को अपना निशाना नहीं बना सके। क्योंकि वे उसके घर तक विस्फोटक से भरी कार पहुंचाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर पुलिस का नाका नहीं होता तो हाफिज सईद ही इस हमले का असली निशाना था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस हमले में कम-से-कम 25 लोग घायल हुए हैं और अनेक मकान तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हमलों से नहीं घबराते और ऐसी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जिन्ना अस्पताल के सूत्रों के अनुसार पांच घायलां की हालत बेहद चिंताजनक है। घायलों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है जो कि गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जौहर टाउन नई हाउसिंग कॉलोनी है जिसकी गणना लाहौर नगर क सबसे पॉश क्षेत्रों में होती है और यहीं हाफिज सईद एक शानदार बंगले में रहता है और उसे पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कवच भी प्रदान कर रखा है।

कोरोना के चलते बांग्लादेश में लॉकडाउन

इंकलाब (28 जून) के अनुसार बांग्लादेश में कोरोना महामारी की नई लहर के कारण पूरे देश में अनिश्चितकालोन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद राजधानी ढाका से भारी संख्या में मजदूर अपने परिवार सहित अपने गांव की ओर जाने क लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। लॉकडाउन के कारण सभी गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रत्येक दिन छह हजार नए केस आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या औसतन 200 प्रतिदिन है। बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में दुकानें, बाजार, यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने घरों में ही रहें। अभी तक सरकार ने नदियों में चलने वाली नाव पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए अपने घर जाने के लिए लोग उसका भी सहारा ले रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 14 हजार को भी पार कर गई है। इससे पूर्व 19 अप्रैल को सबसे अधिक 112 लोग एक दिन में कोरोना से मरे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरियंट तेजी से फैल रहा है। बांग्लादेश सरकार ने अपनी सभी सीमाएं बंद कर दी हैं ताकि कोई विदेशी बांग्लादेश में दाखिल न हो सके। सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में डेल्टा वेरियंट के अनेक मामले सरकार के नोटिस में आए हैं।

पश्चिम एशिया

इब्राहिम रईसी ईरान के आठवें राष्ट्रपति

अवधनामा (20 जून) के अनुसार ईरान के सरकारी टीवी पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इब्राहिम रईसी की विजय की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के अनुसार रईसी को 62 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जिनकी कुल संख्या 81 लाख है। इस चुनाव में हालांकि 5 करोड़ 90 लाख मतदाता मतदान करने के पात्र थे मगर इनमें से दो करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने अपने मत डाले। रईसी को कातिल की संज्ञा दी जाती है और उनका नाम 1988 में भारी संख्या में राजनीतिक बंदियों को फांसी की सजा से जोड़ा जाता है, जिसके कारण अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। साठ वर्षीय रईसी ईरान में आए इस्लामिक क्रांति के बाद से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र में उन्हें जिला कारज और बाद में हमादान प्रदेश का सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। 1989 में उन्हें तेहरान का मुख्य सरकारी वकील और 2004 से उपमुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत होने वाले हसन रूहानी को उदारवादी माना जाता है। जबकि रईसी को कट्टरवादी कहा जाता है। रईसी अगस्त महीने में राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ईरान में 12 सदस्यीय गाडियन काउंसिल ने उदारवादियों के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनजाद को चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया था। बाद में महमूद ने कहा कि वे मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गुनाह का भागीदार नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि रईसी ने इरानियों के वंशान्मुलन में भाग लिया था। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए कहा

कि हम अपनी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे और जनता के बीच उज्जवल भविष्य की आशा पैदा करेंगे।

दैनिक सियासत (19 जून) के अनुसार गाडियन काउंसिल ने राष्ट्रपति पद के अधिकांश उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और सिर्फ चार उम्मीदवारों को ही चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी थी। चुनाव में 2017 की तुलना में बहुत कम लोगों ने वोट दिए हैं। रईसी स्वयं को हजरत मोहम्मद का वंशज मानते हैं।

इत्तेमाद (19 जून) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान की गति बहुत धीमी रही। ईरान के रहबर-ए-आला अली खुमैनी ने अपना वोट डाला। उन्होंने ईरानियों से अपील की कि वे अपना कर्तव्य समझकर मतदान में भाग लें। ईरान के चुनाव आयुक्त के अनुसार देश में मतदाताओं की संख्या साढ़े नौ करोड़ है और देशभर में 67 हजार मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दूरदराज क्षेत्रों और देहातों में हेलिकॉप्टरों द्वारा बैलेट बॉक्स पहुंचाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस बार चुनाव में भाग नहीं लिया। राष्ट्रपति के वर्तमान चुनाव में 40 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया जबकि 2020 के संसदीय चुनाव में 57 प्रतिशत ने हिस्सा लिया था। 600 से अधिक उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए नामांकन पत्र भरे थे मगर इनमें से सिर्फ सात लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। बाद में इनकी संख्या घटकर चार रह गई।

इत्तेमाद (20 जून) के अनुसार ईरान के अधिकांश मतदाताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव में रुचि नहीं ली। इसके कारण अधिकांश मतदान केन्द्र खाली पड़े रहे। तेहरान के 36 वर्षीय बेरोजगार नागरिक अली हसनी ने कहा कि जो भी चुनाव जीतता है वह जनता से किए गए अपने वायदों को भूल जाता है। अधिकांश मतदान केन्द्रों पर कोई भीड़ नहीं थी। यूरोप में ईरान के मुख्य विपक्षी दल नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंट ऑफ ईरान के प्रवक्ता ने लंदन में कहा है कि उन्हें 31 प्रदेशों के 220 नगरों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार ईरानी जनता ने इस फ्रॉड चुनाव का बहिष्कार किया है। तेहरान की 31 वर्षीय महिला अकाउंटेंट नसरीन का कहना है कि कोई भी उम्मोदवार उसे नहीं पसंद आया इसलिए वह मतदान में भाग नहीं ले रही है। एक 23 वर्षीय मतदाता रोजीन अहमद का कहना है कि आर्थिक बदहाली के कारण ईरान में बेरोजगारी और महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है और किसी भी राजनेता को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। अरब न्यूज के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं।

इंकलाब (21 जून) के अनुसार इजरायल के विदेश मंत्री ने नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति को अतिवादी करार दिया है जिसके हाथ हजारों बेगुनाह ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। वहीं रईसी ने सरकारी रेडियो पर कहा है कि मैंने ईरानियों से जो वायदे किए हैं उसका मैं पूरा करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त क्रांतिकारी और सक्रिय प्रशासन ईरानियों को दूंगा।

इंकलाब (22 जून) के अनुसार ऑल इंडिया शिया समाज के महामंत्री मौलाना जफरूल हसन ने यह दावा किया है कि रईसी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से भारत और ईरान के संबंधों में नए युग की शुरुआत होगी।

इंकलाब (28 जून) ने यह आशा व्यक्त की है कि ईरान के नए राष्ट्रपति उनके बारे में पश्चिमी मीडिया द्वारा किए गए नकारात्मक प्रचार

का निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी रईसी ने हसन रूहानी का मुकाबला किया था मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। नए राष्ट्रपति की पत्नी जामिलेह अलामोल्होदा विश्व के सर्वोच्च विद्वानों में शामिल हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि इब्राहिम रईसी ने अपनी प्रस्तावित विदेश नीति में एक बात साफ कर दी है कि इजरायल को छोड़कर वे सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहते हैं और वे पश्चिमी देशों की बजाय पूर्वी देशों को ज्यादा महत्व देंगे। रईसी के राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों में एक भूचाल सा आ गया है। इसलिए उन्हें अतिवादी और आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। हमें खुशी है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को उनकी कामयाबी पर हार्दिक बधाई पेश की है। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत और ईरान के बीच संबंधों के नए युग को शुरुआत होगी।

यरुशलम में इजरायल द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन

रोजनामा सहारा (17 जून) के अनुसार फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्धविराम का इजरायल द्वारा उल्लंघन किया गया और दो बार फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमले किए गए। इजरायली सेना की बमबारी में कम-से-कम 20 स्थानों पर आग लगी। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल जानबूझकर युद्ध की ज्वाला को भड़का रहा है और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस हमले से पूर्व इजरायल के झंडे उठाए हजारों इजरायली यहूदी यरुशलम नगर के दमिश्क गेट पर इक्ठ्ठे हुए और उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा की ओर मार्च किया। इजरायली सरकार ने उन्हें इस मार्च को निकालने की खुली छूट दी थी। इसके कारण फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 17 लोग मारे गए। दूसरी ओर इजरायल सरकार ने यह आरोप लगाया है कि हमास जानबूझकर हिंसा को भड़का रहा है इसलिए इजरायल को गाजा पट्टी पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि कुछ अरब महिलाएं जब इजरायली सैनिकों पर हमला कर रही थीं तो आत्मरक्षा में सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसके कारण दो फिलिस्तीनी महिलाएं मारी गईं।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जून) के अनुसार गाजा पर इजरायली विमानों की बमबारी दूसरे दिन भी जारी रही। जुम की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अल-अक्सा पहुंचे मुसलमानों पर इजरायली सेना ने रबर की गोलियां चलाईं, जिससे अनेक

नमाजी जख्मी हो गए। इजरायली सेना ने कहा है कि हमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है जो हिंसा को भड़का रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने उन मकानों को अपना निशाना बनाया है जो हमास के सैनिक अड्डे थे। हमास के प्रवक्ता फॉजी बरहौम ने कहा है कि इजरायल की नई सरकार जानबूझकर युद्धविराम का उल्लंघन कर रही है। क्योंकि इजरायली सरकार बौखला गई है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता अपने पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगी।

हमारा समाज (16 जून) के अनुसार मिस्र ने इजरायल को धमकी दी है कि वह युद्धविराम का उल्लंघन नहीं करे वरना उसके गंभीर परिणाम होंगे। हाल ही में यहूदी अतिवादियों को मस्जिद अल-अक्सा की ओर मार्च करने की जो अनुमति दी गई है उससे पुनः युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है।

मिस्र, जॉर्डन और इराक का नया गठजोड़

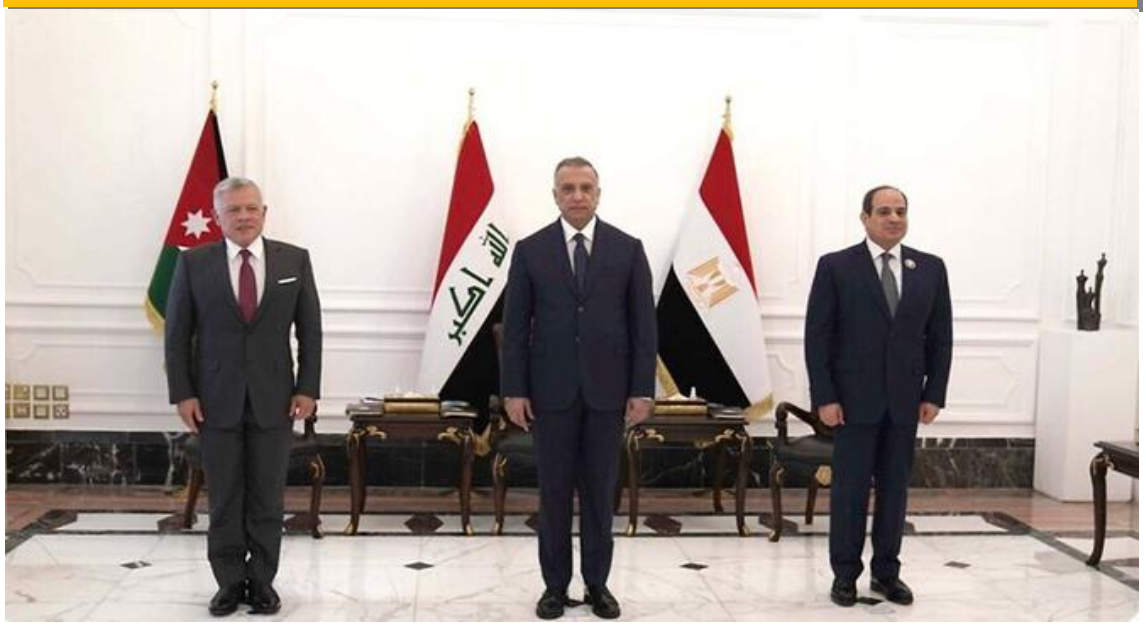

इत्तेमाद (29 जून) के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी, जॉर्डन के राजा शाह अब्दुल्ला और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी की हाल ही में बगदाद में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पूंजी निवेश और पश्चिमी एशिया की समस्याओं पर विचार किया गया। गत 30 वर्ष के बाद यह पहला अवसर है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति ने इराक का सरकारी दौरा किया हो। 1980 में जब तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था तो उसके बाद मिस्र और इराक के संबंध विच्छेद हो गए थे। मगर हाल के कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है।

दूसरी ओर जॉर्डन के शाह का भी गत दस वर्षों में यह बगदाद का पहला दौरा है। इराक अभी तक गैस और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक ईरान पर निर्भर है। इस

वार्ता में इथियोपिया द्वारा डैम परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर भी मिस्र ने चिंता व्यक्त किया और कहा कि इसके कारण उसकी जलापूर्ति का संकट पैदा हो सकता है। बैठक के बाद यह भी तय किया गया कि तीनों देश सुरक्षा, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए आपस में गुप्तचर सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। बताया जाता है कि इस बैठक के पोछे अमेरिका की प्रेरणा है जो कि इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अन्य अरब देशों से गठजोड़ को प्रोत्साहन दे रही है।

दैनिक इंकलाब (24 जून) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने ईरानियन इस्लामिक रेडियो एंड टेलोविजन यूनियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 33 वेबसाइटों और कताइब हिजबुल्लाह से संबंधित तीन अन्य वेबसाइटों को बंद कर दिया है। अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इससे पूर्व भी अमेरिकी सरकार 100 वेबसाइटों पर यह कहकर पाबंदी लगा चुकी है कि वह अमेरिकी कानून का उल्लंघन कर रही थी और अमेरिका के विरुद्ध दष्प्रचार कर रही थी। इसके अतिरिक्त यमन में हूती विद्रोहियों से संबंधित वेबसाइट और तेहरान से अरबी में प्रसारित किए जाने वाले टेलोवीजन चैनल का प्रसारण भी अमेरिका ने बंद कर दिया है। अमेरिका के न्याय विभाग ने यह स्वीकार किया कि अमेरिकी सरकार ने ईरानी दुष्प्रचार को रोकने के लिए यह कार्रवाई की है।

इख्वानुल मुस्लिमीन के 12 वरिष्ठ नेताओं को फांसी

रोजनामा सहारा (16 जून) के अनुसार मिस्र क सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व शासक दल इख्वानुल मुस्लिमीन के 12 वरिष्ठ नेताओं की मौत की सजा को बरकरार रखा है। अब इस फैसले के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा मौत के वारंट पर हस्ताक्षर होते ही इख्वान के इन नेताओं को फांसो पर लटका दिया जाएगा। इख्वानुल मुस्लिमीन के जिन प्रमुख नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें मुफ्ती अब्दुल रहमान अल-बर, पूर्व सांसद मोहम्मद अल-बेलतागी और पूर्व मंत्री ओसामा यासीन शामिल हैं। सितंबर 2018 में इससे पूर्व भी इख्वान के 75 प्रमुख नेताओं को मिस्री अदालत फांसी की सजा सुना चुकी है। जबकि 600 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी। बाद में इनमें से 44 लोगों ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी जिनमें 31 की सजा-ए-मौत को उम्रकैद में बदल दिया गया जबकि 12 की फांसी की सजा की पुष्टि की गई। मिस्र के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की भी 2019 में जेल में मौत हो गई थी और एक अन्य प्रमुख नेता एस्साम अल-एरियन गत वर्ष कैद में ही दम तोड़ गए थे। इस वर्ष मिस्र सरकार अब तक इख्वान के 51 नेताओं को फांसी पर लटका चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिस्र सरकार द्वारा विरोधियों को अंधाधुंध फांसी पर लटकाए जाने की आलोचना की है और यह मांग की है कि मिस्र में मौत की सजा पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इंकलाब (26 जून) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद ने मिस्र सरकार द्वारा

इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं को फांसी की सजा देने की निंदा की है और कहा है कि वहां की सरकार अपने विपक्षी नेताओं को जानबूझकर अदालतों द्वारा झूठे मुकदमे चलाकर फांसी पर लटका रही है। इख्वानुल मुस्लिमीन का संबंध अतिवादी इस्लामिक संगठन मुतम्मर इस्लाम (मुस्लिम ब्रदरहुड) से है और जमात-ए-इस्लामी हिंद के तार भी इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा भी जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा चुका है और उससे संबंधित दो दर्जन से अधिक नेताओं को सजा-ए-मौत दी जा चुकी है।

सीरिया और इराक में अमेरिका द्वारा हवाई हमले

सियासत (29 जून) के अनुसार सीरिया और इराक की सीमा पर सक्रिय ईरान समर्थक विद्रोहियों के अड्डों पर अमेरिकी वायु सेना ने भीषण बमबारी की जिसके कारण भारी संख्या में लोग मारे गए। इराकी मानवाधिकार संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका सीरिया में सक्रिय शिया मिलिशिया के ठिकाने को अपना निशाना बना रहा है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कदम इराक में रहने वाले अमेरिकियों की रक्षा के लिए उठाया है। पेंटागन के सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी जहाजों ने सीरिया में दो और इराक में एक स्थान पर शिया विद्रोहियों के सैनिक ठिकानों और अस्त्र-शस्त्र के गोदामों को अपना निशाना बनाया था। इन विद्रोही तत्वों को ईरान द्वारा अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं। इन आतंकी संगठनों ने हिज्बुल्लाह सैय्यद अल-शुहादा नामक जिहादी संगठन शामिल हैं। अमेरिकी सैनिक प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं।

अन्य

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का मनोनयन

इंकलाब (26 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के अशफाक शैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। आयोग का गठन तीन वर्षों के लिए किया गया है और इसके नौ सदस्य हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष तनवीर उस्मानी का निधन 29 अप्रैल 2019 को हो गया था। तब से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था। मुख्य सचिव रविंद्र नायक ने नए सदस्यों की सूची जारी की। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त सरदार परमिंदर सिंह, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद, मेरठ क सुरेश जैन ऋतु राज, शाहजहांपुर के नवेंदु सिंह, अलीगढ़ के सलमान अफरोज खान, गोरखपुर के बख्शीश अहमद वारसी, लखनऊ की रोमाना सिद्दीकी और अनीता जैन शामिल हैं। इनमें से सुरेश जैन, बख्शीश अहमद वारसी और रोमाना सिद्दीकी को पुनः आयोग का सदस्य बनाया गया है।

दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह की प्रबंध समिति का गठन

इंकलाब (27 जून) के अनुसार दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नई प्रबंध समिति का गठन कर लिया गया है। इसकी अध्यक्षा रजिया सुल्ताना को बनाया गया है। जबकि हाफिज महफूज मोहम्मद महामंत्री और नसोद अहमद कोषाध्यक्ष होंगे। गत दिनों

पुरानी प्रबंध समिति की अध्यक्षा परवीन सिद्दीकी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड क पूर्व चेयरमैन चौधरी मतीन अहमद ने जो दरगाह की नई कमेटी बनाई थी उसमें मोहम्मद उमर फरीदी को अध्यक्ष बनाया गया था। उनके निधन के बाद राणा परवीन सिद्दीकी ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इस चुनाव में प्रबंध समिति के 16 सदस्यों में से 11 सदस्य उपस्थित थे। वक्फ बोर्ड के सदस्य जमाल अख्तर ने बताया कि हमें क्योंकि दरगाह का प्रबंध संतोषजनक नहीं नजर आ रहा था इसलिए नई कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पुराने प्रबंधक से दरगाह का हिसाब किताब मांगा गया था मगर उन्होंने नहीं दिया। अब बैंक में दरगाह के हिसाब किताब के संचालन के लिए तीन व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है जिसमें रजिया सुल्ताना, हाफिज महफूज और निसाद अहमद शामिल हैं।

जलालुद्दीन उमरी को अवार्ड

इंकलाब (21 जून) के अनुसार विख्यात मुस्लिम चिंतक और जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी को उनकी साहित्यक और इस्लामिक सेवाओं के आधार पर आईओएस के चौदहवें शाह वलीउल्लाह शाह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड में उन्हें एक लाख रुपये का चेक, स्मृति चिन्ह और शांल पेश किया गया है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद रब्बै हसनी नदवी ने कहा है कि मौलाना उमरी ने जो इस्लाम की सेवाएं की हैं उसकी रोशनी में वे इस अवार्ड के सच्चे हकदार हैं। मौलाना उमरी ने कहा कि इस्लाम के दावत में

उनकी विशेष रुचि रही है क्योंकि इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना कुरान का एक महत्वपूर्ण आदेश है। वरिष्ठ पत्रकार सुहैल अंजुम ने मौलाना उमरी का जीवन वृतांत भी पेश किया।

शाही इमाम के परिवार ने लगवाया कोरोना का टीका

इंकलाब (30 जून) के अनुसार शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे और नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी सहित पूरे परिवार के लोगों ने अपोलो अस्पताल जाकर कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और महामारी से बचने के लिए टीके लगवाएं। इंकलाब अखबार ने मुसलमानों में टीके के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाया है और टीका लगाने वाले मुसलमानों के चित्र भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

प्लेटफॉर्म पर बना मजार बंद

इंकलाब (16 जून) के अनुसार हरदोई रेलवे स्टेशन पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार को रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। यह मजार प्रारम्भ से ही रेलवे प्लेटफार्म पर स्थित है। इसलिए जब भी उसे वहां से हटाने का प्रयास किया गया श्रद्धालुओं के विरोध के कारण प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। अब रेलवे प्रशासन ने मजार को चारों तरफ से दीवारें बनाकर बंद कर दिया है। यह मजार जिंदा पीर के नाम से विख्यात है और यहां पर सैकड़ों सालों से श्रद्धालु नजर चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते और फातिहा बढ़ते आ रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

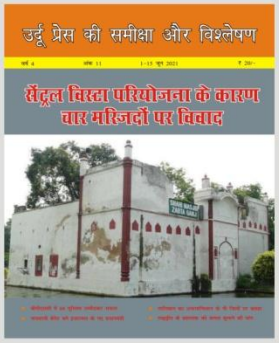

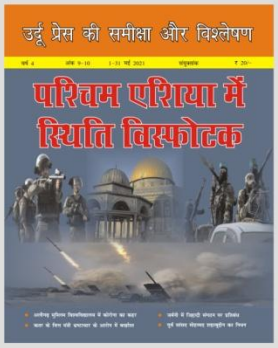

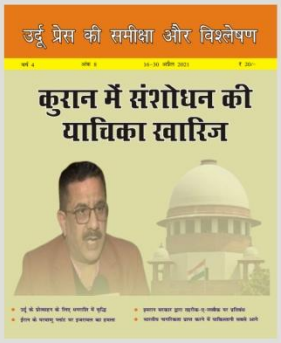

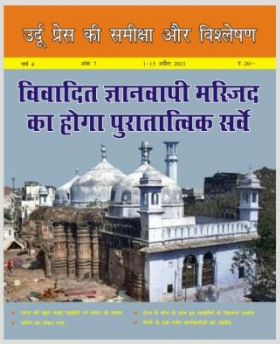

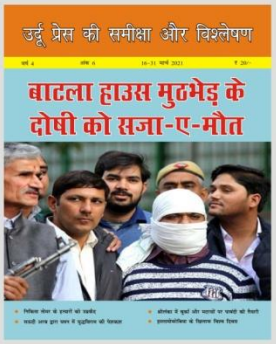

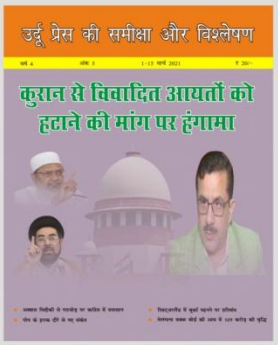

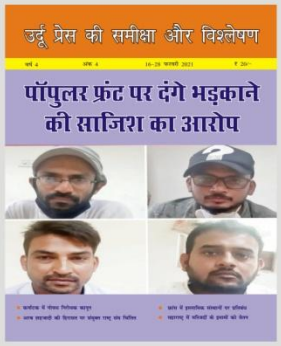

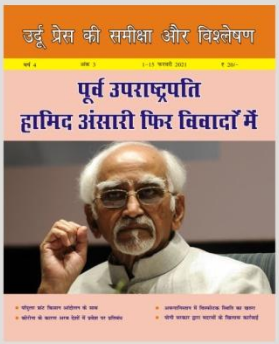

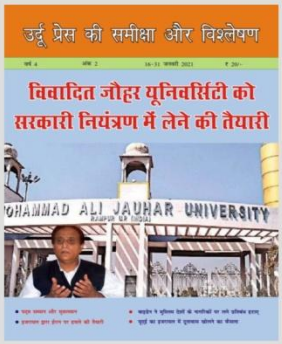

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in